



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 24 जनवरी, 2019 ई०

माघ 04, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 86/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-25

देहरादून, 24 जनवरी, 2019

### अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं० 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

i). अनुसूची में, -

i) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“43क	0710	सम्बियां (बिना पकी हड्डी या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हई), फोजन
43ब	0711	सम्बियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हो (उदाहरणार्थ सल्फर डाई आक्साइड से, ब्राईन में, सल्फर बौटर में या अन्य संरक्षक विलेयत में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है”;

ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4904 00 00	स्मूजिक, प्रिंटिंग या मैनुस्क्रिप्ट में, चाहे बाउंड या इलेक्ट्रोटेक्ट हो या नहीं”;
-------	------------	--

iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य या संघ राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मदों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति, जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खेराती उपयोग के लिए किया जाना हो”।
------	---------------	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.86/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-25, dated Dehradun, January 24, 2019 for general information:

No. 86/2019/14(120)/XXVII(8)/2018/CTR-25

Dated Dehradun, January 24, 2019

#### NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, -

1. In the schedule,

i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

“43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption”;

ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated”;
-------	------------	--

iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“153	Any chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union Territory, or any public servant, by way of public auction by the government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause”.
------	-------------	---

2. This notification shall come into force from the 1<sup>st</sup> January, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,  
Secretary.